12 वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

सोमवार, दिनांक 29 जून 2015

Notice for 12th Annual General Meeting

Monday, June 29, 2015

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(**प्रधान कार्यालय**: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(**Head Office :** 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

विषय-सूची
INDEX

नोटिस	3	Notice	14
टिप्पणियाँ	6	Notes	17
मद क्र. 3 और 4 के लिए स्पष्टीकरण कथन	9	Explanatory Statement Item No. 3 and 4	20
विधिक प्रावधान	10	Legal Provisions	21
नामांकन फॉर्म	25	Nomination Form	26
उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र	27	Declaration and Undertaking by the candidate	28
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म	29 - 32	PDU Form prescribed by RBI	29 - 32
उपस्थिति पर्ची/प्रवेश पास/मतदान पेपर पास	33	Attendance slip / Entry Pass/Ballot paper pass	34
प्रॉक्सी फॉर्म	35	Proxy form	36
एनईसीएस फॉर्म	37	NECS Form	38

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 संलग्न है
ANNUAL REPORT 2014-15 ENCLOSED

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें
IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम Event	तारीख Date
वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित रहने तथा निर्वाचन में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख Specified date for ascertaining shareholders entitled to participate in the process of election of Shareholder Director	29 मई 2015 29th May 2015
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of nomination	13 जून, 2015 को दोपहर 2.00 बजे तक 13th June 2015 by 2.00 p.m
नामांकनों की संवीक्षा Scrutiny of nominations	15 जून, 2015 15th June 2015
ई-वोटिंग अवधि e-voting period	26 जून, 2015 को सुबह 9.00 बजे से 28 जून, 2015 से सायं 5.00 बजे तक From 9.00 a.m 26th June 2015 To 5.00 p.m 28th June 2015
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फॉर्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of Proxy forms and resolutions for appointing authorized representatives	24 जून, 2015 को सायं 5.00 बजे तक 24th June 2015 by 5.00 p.m
बही बंदी Book Closure	23 जून, 2015 से 29 जून, 2015 तक 23rd June 2015 to 29th June 2015.
वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय और स्थान Date Time and venue of Annual General Meeting	सोमवार, 29 जून, 2015 सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजीनगर, पुणे 411005. Monday, 29th June 2015 at 10.30 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501 Shivajinagar, Pune 411005.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(**प्रधान कार्यालय**: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के शेयरधारकों की **बारहवीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार दिनांक 29 जून, 2015 को सुबह 10.30 बजे** निम्नलिखित कारोबार करने हेतु **अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005** में आयोजित होगी :

सामान्य कारोबार

मद क्रमांक 1

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और 31 मार्च 2015 के तुलनपत्र, बैंक के लेखों और तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना.

मद क्रमांक 2

वर्ष 2014-15 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना.

विशेष कारोबार :

मद क्रमांक 3

एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (विनियम), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआई)**, भारत सरकार **(जीओआई)**, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड **(सेबी)** की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू क़ानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथासंशोधित/अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण (लिस्टिंग) करार के अधीन, एतदद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावे. ज/विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर रु.10/- के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो रु.800 करोड़ (आठ सौ करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहें वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेंच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **("एनआरआई")**, कंपनियों- निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, के लिए में, योग्य संस्थागत खरीदारों ("**क्यूआईबी**") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों **("एफआईआई)"**, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों, या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी मिश्रण के रूप में हों.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम अथवा आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, अधिकार शेयर, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIPs) या तत्संबंधी मिश्रण अनुसार या अधिआवंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009 (**"आईसीडीआर विनियम"**) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धति से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों (underwriters) और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशक(कों), चाहें वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2004 के प्रावधानों, आईसीडीआर (ICDR) विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी द्वारा जारी या हस्तांतरित निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों और आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी आई पी पी), वाणिज्य मंत्रालय और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) से अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा/अथवा मंजूरी (इसके बाद जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक

मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेंच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट, जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में उल्लिखित है, के तहत प्लेसमेंट दस्तावेज़/ लेखन / परिपत्र / ज्ञापन और ऐसी पद्धति से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोडकर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51%से कम हिस्सा न हो.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में -

क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा.

ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिक से अधिक पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है.

ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम का प्रीमियम तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधक(कों)/हामीदार(रों)/बैंकर(रों)/निक्षेपक(कों)/ रजिस्ट्रार(रों),लेखापरीक्षक(कों) और इक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों हामीदारों (underwriters), अन्य सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्द्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/वारंट/प्रतिभूतियों को जारी करने/परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तिकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित मामले, भारत और/अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझें, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनभिदत्त इक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्य हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेज़ो व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है.

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा उसे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

मद क्र.4

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करना जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(ग) (भविष्य में "अधिनियम"के रूप में संदर्भित) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (भविष्य में "विनियम अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (भविष्य में "योजना" के रूप में संदर्भित) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004 (भविष्य में "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र. बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 के साथ पठित दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी. बीसी. क्र.95 /29.39.001 /2010-11 (भविष्य में "भारिबैं अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के बारे में विचार करना और चुनाव के बाद यदि उचित पाया गया तो भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 (भविष्य में 'भारत सरकार के दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित) को निर्धारित मानदंड के साथ पठित दिनांक 03 सितंबर, 2013 की अधिसूचना क्र. फा.सं. 16/83/2013-बीओ.ध के अनुसार निम्नलिखित पर संशोधन/नों के साथ या उसके बिना विचार करना और निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना;

"**प्रस्तावित किया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ग) और इसके अंतर्गत बनाए गए संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक श्री/श्रीमती.....को एतदद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता हैं वे बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन के दिनांक से निर्वाचित माने जाएंगे व निर्वाचन के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि तक के लिए निदेशक का पद संभालेंगे.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

सुशील मुहनोत

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 14 मई 2015
स्थान : पुणे

टिप्पणियां

1. **व्याख्यात्मक विवरण** : बैठक की मद क्र. 3 और 4 में किए जाने वाले कारोबार संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न हैं.

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**

   शेयरधारक जो बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र है, वह अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा) की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी अधिकार पत्र प्रदाता को उस बैठक में, जिससे यह प्रॉक्सी अधिकार पत्र संबंधित है, स्वयं उपस्थित होने पर भी मतदान का अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी अधिकार पत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह नोटिस के साथ संलग्न फॉर्म 'बी' के अनुसार न दिया गया हो.

   प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिए, जब तक कि मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार बैंक के पास पहले से जमा व पंजीकृत न किया गया हो, मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके आधार पर यह हस्ताक्षरित हो, या उस मुख्तारनामे की प्रति या मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित प्रति सहित प्रॉक्सी फार्म, वार्षिक साधारण बैठक की दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात **बुधवार 24 जून 2015** को या उससे पहले, बैंक के कार्य समापन समय अर्थात सायं 5.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 में प्राप्त हो जाना चाहिए.

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:** बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी या किसी निगम निकाय का कोई भी व्यक्ति, प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उसी बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रस्ताव की वह प्रति प्रस्तुत नहीं करता, जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया हो और इस प्रस्ताव की प्रति, ऊपर दिए गए पते पर बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक बुधवार 24 जून 2015 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा की गई हो.

4. **मतदान अधिकार** : बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने धारित शेयरों के आधार पर बैंक के शेयरधारकों के **कुल 10 प्रतिशत मतदान अधिकार से अधिक मतदान का पात्र नहीं होगा.**

   उपर्युक्तानुसार, विनियमावली के विनियम 68 के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा प्रत्येक शेयरधारक, जो नियत दिनांक **अर्थात शुक्रवार, 29 मई, 2015 (शेयरधारकों के चुनाव हेतु) और अंतिम दिनांक अर्थात सोमवार 22 जून, 2015 (अन्य कारोबार हेतु)** शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, का हाथ उठाकर एक मत होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा.

   विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के नाम हो, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में दर्ज पहले व्यक्ति को उस शेयर का एकल धारक माना जाएगा. इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम हों तो पहले नाम वाला व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और नामांकन भरने, चुनाव लड़ने और बैठक में मतदान करने के लिए पात्र है.

5. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्र पास (उपस्थिति पर्ची)** : शेयरधारकों की सुविधा के लिए "उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्र पास" इस नोटिस के साथ संलग्न है. शेयरधारकों के पास विकल्प है कि वे ई-वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए मतदान करें. जो शेयरधारक ई-वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए मतदान नहीं करते वे वार्षिक साधारण बैठक की दिनांक को बैठक स्थल पर आयोजित चुनाव में अपना मत दे सकते हैं. ऐसे शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची और रिक्त स्थानों में दिए गए विवरण, यदि कोई हों, का सत्यापन करें और उस पर्ची में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची बैठक के स्थान पर जमा करें. प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि "उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र पास" पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें. चुनाव के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतपत्र पास/प्रवेश पास जमा करना होगा.

6. **बहियों का बंद होना** : बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक और वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान के उद्देश्य से बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **मंगलवार, 23 जून, 2015 से सोमवार 29 जून, 2015** (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे.

7. **लाभांश का भुगतान** :बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 14 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त रु.10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों पर प्रति शेयर रु 0.80(0.80 रुपए मात्र) की दर से लाभांश की सिफारिश की. निदेशक मंडल की सिफारिशों के अनुसार और यदि 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक में इसका अनुमोदन होता है तो लाभांश का भुगतान निम्नानुसार होगा -

   क. सभी लाभार्थी शेयर स्वामियों को दिनांक **22 जून 2015** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा यथा उपलब्ध किए गए डाटा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में

   ख. सभी सदस्यों को दिनांक **29 जून 2015** को बैंक/ बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के पास दर्ज अंतरण अनुरोधों के संबंध में वैध अंतरणों को प्रभाव देने के पश्चात भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में

   ग. पात्र शेयरधारकों को दिनांक **08 जुलाई 2015** तक लाभांश का भुगतान किया जाएगा.

8. **लाभांश अधिदेश/ पते में बदलाव**

   क. लाभांश के भुगतान के लिए बैंक संबंधित निक्षेपागार से पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) द्वारा डाउनलोड किए गए और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास पंजीकृत बैंक खाते के ब्यौरों का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित निक्षेपी खाते पर पंजीकृत बैंक के ब्यौरों को अपने संबंधित निक्षेपी सहभागी के पास अद्यतित करवा लें ताकि इसे बहियों को बंद करने से पूर्व अद्यतित किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से बैंक के विवरणों या बैंक के अधिदेश में किसी बदलाव के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर बैंक या इसका पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट कार्रवाई नहीं कर सकते. ऐसे बदलाव केवल शेयरधारकों के निक्षेपी सहभागी को ही सूचित किए जाने हैं.

ख. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव होता है तो समुचित रूप से हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन और एक वैध दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इसकी सूचना तत्काल रूप से बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को दें.

ग. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक पते में बदलाव की सूचना केवल अपने संबंधित निक्षेपी सहभागी को दें, बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को नहीं.

घ. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट के साथ किसी भी पत्राचार में अनिवार्य रूप से अपने संबंधित फोलियो क्रमांक/क्रमांकों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक) और अपने संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक) का उल्लेख अवश्य करें।

9. **फोलियो का समेकन**: एक से अधिक फोलियो/ खाते के अंतर्गत नामों के समरूप क्रम में भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाणपत्र सहित ऐसे खातों के लेजर फोलियो सूचित करें ताकि वो सभी धारिताओं को एक खाते में समेकित कर सके. आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात शेयरधारकों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय वापस कर दिए जाएंगे.

10. **भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना**: भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक अपने शेयरों को डी-मैट रूप में बदल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित निक्षेपी सहभागी से संपर्क करना होगा जिसके पास उनके डी-मैट खाते हैं.

11. **अंतरणों का प्रस्तुतीकरण**: अंतरण विलेख/विलेखों सहित शेयर प्रमाणपत्र बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को अग्रेषित किए जाने चाहिए. **बैंक ने वर्तमान पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को बदलने का निर्णय लिया है और नए पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट हेतु बदलाव की प्रभावी दिनांक की सूचना सार्वजनिक रूप से दी जाएगी**. दोनों ही इकाईयों के पते नीचे दिए गए हैं. शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट से पत्र-व्यवहार करते समय इसे नोट करें.

वर्तमान पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट	प्रस्तावित पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट
एमसीएस लिमिटेड	एमसीएस शेयर एंड ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग,5, पी.डिमेलो रोड (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009	इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस क्रमांक 002 ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी.डिमेलो रोड , मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009
फोन: (022) 2372 6253 -56	फोन: (022) 40206020/ 21/ 22/ 23/ 24
फैक्स : (022) 2372 6252	फैक्स : (022) 40206021
ई-मेल: uday_mcs@yahoo.in	ई-मेल: mcssta.mumbai@gmail.com

12. **स्थिति में बदलाव दर्ज करना**: अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित की सूचना दें -

क. स्थायी निवास के लिए भारत वापस आने पर निवास पते में बदलाव

ख. पूरे नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता क्रमांक और पिन सहित बैंक के पते के साथ भारत के बैंक खाते के विवरण, यदि पहले प्रदान न किए गए हों.

13. **अप्रदत्त / अदावी लाभांश, यदि कुछ हो**: बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(बी) और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से 7 वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावी रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1) के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और तत्पश्चात बैंक या आईईपीएफ के प्रति इस संबंध में लाभांश के भुगतान हेतु कोई दावा शेष नहीं रहेगा.

तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 से अदत्त / अदावी रही लाभांश की ऐसी सभी राशियों को "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि" (आईईपीएफ) को अंतरित किया गया है. इसके ब्यौरे बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी प्रदर्शित किए गए हैं. वर्ष 2007-08 के लिए अदत्त/ अदावी शेष रहे लाभांशों का अंतरण आगामी वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से 90 दिनों के भीतर उक्त निधि में कर दिया जाएगा.

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों (वर्ष 2007-08 से आगे) के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट से या निम्नलिखित पते पर पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
निवेशक सेवाएं विभाग
'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411 005
ई-मेल– investor_services@mahabank.co.in

14. कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों ने बैंक में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत नहीं किए हैं उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक की सेवाओं का उपयोग कर अलग से भेजी गई हैं और जिन शेयरधारकों ने बैंक में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत किए हैं उन्हें ई-मेल द्वारा उनके ई-मेल आईडी पर सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.inपर भी प्रदर्शित की गई है. वार्षिकसाधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट वितरित नहीं की जाएगी अत: सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएं.

जिन शेयरधारकों को खातों से संबंधित कोई जानकारी चाहिए उनसे अनुरोध है कि इस संबंध में बैंक से लिखित अनुरोध करें, जो वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व बैंक में पहुंच जाना चाहिए ताकि संबंधित जानकारी तैयार कर रखी जाए। उत्तर केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही प्रदान किए जाएंगे।

15. मतदान

क. निर्वाचन हेतु निर्दिष्ट दिनांक

केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों का **निर्धारण** करने अर्थात नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने हेतु नोटिस में उल्लेख किए अनुसार शुक्रवार 29 मई 2015 की तारीख निर्धारित की गई है.

ख. वार्षिक साधारण बैठक में मतदान और ई-वोटिंग के लिए नियत दिनांक

यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार सोमवार, 22 जून 2015 को माना जाएगा.

ग. ई-वोटिंग

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के खंड 35बी के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) को ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है. ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से पूरा करने के लिए बैंक ने मेसर्स आपटे जोशी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज़, पुणे के प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव श्री राघवेंद्र जोशी को संवीक्षक नियुक्त किया है. **ई-वोटिंग वैकल्पिक है. नियत दिनांक** (कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3) और **निर्दिष्ट दिनांक** (कार्यसूची मद क्र. 4) को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डी-मैट रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे. कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के अनुसार **दिनांक 26 जून 2015 को सुबह 9.00 बजे से दिनांक 28 जून 2015 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा.**

I. ***रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार है -***

क. जिन शेयरधारकों का ई-मेल आईडी बैंक/ निक्षेपी सहभागी (सहभागियों) के पास पंजीकृत है उन्हें वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस के साथ **ईवीईएन (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नंबर), यूजर आईडी और पासवर्ड/ पिन**, उनके संबंधित ई-मेल आईडी पर भेजा गया है. पीडीएफ फाईल यथा "रिमोट ई-वोटिंग.पीडीएफ" व ई-मेल खोलने हेतु पासवर्ड के रूप में अपने ग्राहक आईडी या फोलियो क्रमांक का उपयोग करें. इस पीडीएफ फाईल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड /पिन होगा. कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड एक आरंभिक पासवर्ड है.

ख. ऐसे सदस्य जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/ निक्षेपी सहभागी(गियों) के पास पंजीकृत नहीं है या जो भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करते हैं उन्हें निम्न प्रारूप के अनुसार आरंभिक पासवर्ड इस नोटिस के साथ एक अलग पत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है: EVEN (Remote e-voting Event Number) USER ID

PASSWORD/PIN

ग. ई-वोट डालने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -

(i) निम्नलिखित यूआरएल टाईप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें
https://www.evoting.nsdl.com/

(ii) शेयरहोल्डर लॉगइन पर क्लिक करें

(iii) उपर्युक्त चरण (i) से नोट किए अनुसार आरंभिक पासवर्ड/ पिन के रूप में यूजर आईडी व पासवर्ड टाईप करें. लॉगइन पर क्लिक करें.

(iv) पासवर्ड चेंज मेन्यू प्रदर्शित होगा. कम से कम 8 अंकों/वर्णों या इनके सम्मिश्र से अपनी पसंद के नए पासवर्ड/ पिन से आरंभिक पासवर्ड को परिवर्तित कर लें. नया पासवर्ड नोट करें. किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा ना करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें.

(v) अब आपको नए पासवर्ड व यूजर आईडी के साथ पुन: लॉग-इन करना होगा.

(vi) रिमोट ई-वोटिंग का मुख पृष्ठ खुलेगा. रिमोट ई-वोटिंग: एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करें.

(vii) "बैंक ऑफ महाराष्ट्र" के "EVEN" पर क्लिक करें.

(viii) कॉस्ट वोट (मतदान करें) पेज खुलने पर अब आप रिमोट ई-मतदान के लिए तैयार हैं.

कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के लिए

(ix) मतदान पृष्ठ पर **नियत दिनांक** (22 जून 2015) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी.

(x) कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के संबंध में, आप मामले के अनुसार सहमत (एसेंट) या असहमत (डिसेंट) पर क्लिक कर सकते हैं. उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें और "सबमिट" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर "कनफर्म" प्रदर्शित होने पर "कनफर्म" पर क्लिक करें.

कार्यसूची मद क्र. 4 के लिए

(xi) कार्यसूची क्र. 4 के संबंध में, निर्दिष्ट दिनांक अर्थात 29 मई 2015 को शेयर धारण करने वाले व्यक्ति स्क्रीन पर आनेवाले प्रत्याशी उम्मीदवारों के नामों में से केवल किसी एक व्यक्ति के पक्ष में अपना मत डाल सकते हैं. एक से अधिक व्यक्ति को मत देने से आपका मत अवैध हो जाएगा. उचित विकल्प का चयन करके अपना मत डालें और सबमिट पर क्लिक करें तथा स्क्रीन पर "कनफर्म" प्रदर्शित होने पर "कनफर्म" पर क्लिक करें.

(xii) कनफर्म पर क्लिक करने के बाद "वोट कास्ट सक्सेसफुली" (आपका मतदान पूर्ण हुआ) संदेश प्रदर्शित होगा.

(xiii) संकल्प में आपका मत एक बार "कनफर्म" करने पर, आप अपने मत में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

घ. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, अविभक्त हिन्दू परिवार, अनिवासी भारतीयों इत्यादि को छोड़कर) को मतदान करने के लिए प्राधिकृत समुचित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(कर्ताओं) के अधिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षरों सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र इत्यादि की स्कैन्ड प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) संवीक्षक को ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आईडी bomevoting@aptejoshi.com पर भेजना होगा और **एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भेजनी होगी**.

ङ. यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप अपना मत डालने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड/ पिन का उपयोग कर सकते हैं.

च. आप फोलियो के यूजर प्रोफाईल ब्यौरों में अपना नया ई-मेल आईडी और मोबाईल क्रमांक दे सकते हैं, जो भविष्य में संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाएगा.

छ. नियत दिनांक को निक्षेपागारों द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नाम वाला व्यक्ति ही मतपत्र के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में मतदान के साथ ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा हेतु पात्र होगा.

ज. उपर्युक्त 4 में उल्लेख किए अनुसार, नियत दिनांक/ निर्दिष्ट दिनांक, जैसा भी मामला हो, को सदस्यों के द्वारा धारित बैंक के इक्विटी शेयरों के अनुपात में उनके मताधिकार होंगे.

झ. किसी भी शंका की स्थिति में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल और सदस्यों के लिए बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं.

ञ. कोई व्यक्ति जो नोटिस प्रेषित करने के बाद बैंक के शेयर खरीद लेता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है और जो नियत दिनांक अर्थात 22 जून 2015 को शेयर धारित करता है तो वह पंजीयक व शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (आरटीए)/ बैंक को या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास पंजीकृत हैं तो आप अपना मत देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगॉट यूजर डीटेल/ पासवर्ड" का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) से संपर्क कर सकते हैं.

ट. ई-वोटिंग के लिए पोर्टल शुक्रवार दिनांक 26 जून 2015 को सुबह 9.00 बजे से रविवार दिनांक 28 जून 2015 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा और इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

ठ. शेयरधारक ई-वोटिंग संबंधी नवीनतम अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in के निवेशक सेवाएं लिंक को देख सकते हैं.

ख. वार्षिक साधारण बैठक में मतदान प्रक्रिया

निर्वाचन सहित कार्यसूची मदों पर वोटिंग ई-वोटिंग के साथ ही मतदान द्वारा की जाएगी. जिन व्यक्तियों ने ई-वोटिंग का विकल्प नहीं लिया है वे बैठक के दिनांक को वार्षिक साधारण बैठक के स्थल पर आयोजित मतदान में सहभाग लेने और मत देने हेतु पात्र होंगे. मतपत्र बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तत्काल बाद और 1.00 बजे तक जारी किए जाएंगे। शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतपत्र जारी करने हेतु बनाए गए काउंटरों पर पंजीकरण के समय जारी किए गए अथवा नोटिस के साथ डाक द्वारा भेजे गए मतपत्र-पास जमा करने के बाद मतपत्र जारी किए जाएंगे.

ङ. मतदान के संवीक्षक

जैसा कि ई-वोटिंग के लिए पहले ही सूचित किया गया है, ई-वोटिंग प्रक्रिया के संबंध में मेसर्स आपटे जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे के प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव श्री राघवेंद्र जोशी संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक के दौरान होने वाले मतदान में अन्य शेयरधारक के साथ संवीक्षक का भी कार्य करेंगे.

बैंक द्वारा नियुक्त चीफ रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में निर्वाचन हेतु मतदान किया जाएगा और केंद्र सरकार के नामितियों द्वारा बतौर समीक्षक, इसकी निगरानी की जाएगी.

च. ई-वोटिंग और मतदान का परिणाम

अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ही बैठक में संपादित कार्यसूची मदों के संबंध में घोषित परिणाम राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट पर और बैंक की वेबसाईट www.bankof-maharashtra.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे. ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे.

स्पष्टीकरण कथन

मद क्र. 3 : इक्विटी पूंजी की उगाही

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को बेसल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 9% सीआरएआर बनाए रखना है और अतिरिक्त शर्त के साथ इस न्यूनतम सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी) को 5.50%होना चाहिए. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी) के रूप में होना चाहिए. पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)/ सामान्य इक्विटी पूंजी (सीईटी) की अतिरिक्त अपेक्षाओं के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु बैंक ने 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रु.800 करोड़ की पूंजी आवश्यकता का अनुमान लगाया है.

(ii) बैंक ने आवश्यक पूंजी सहायता के लिए इस आवश्यकता को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है. बैकअप प्रबंध के रूप में बैंक ने अन्य विकल्प जैसे कि एफपीओ/अधिकार निर्गम/क्यूआईबी/प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे अन्य विकल्प इस पूंजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु खुले हैं. इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा.

(iii) भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी तथा लिस्टिंग करार के संगत दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित ईक्विटी पूंजी उगाही जाएगी.

(iv) अत: निदेशक मंडल ने दिनांक 14 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु.800.00 करोड़ की ईक्विटी पूंजी की उगाही करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की.

(v) बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है.

मद क्र.4 : शेयरधारकों के एक निदेशक का चुनाव

(i) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार जहां धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खंड (सी) के अधीन निर्गम पूंजी, कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से कम होती है तो निदेशक मंडल में शेयरधारकों द्वारा उनके बीच से चयनित दो निदेशक होने चाहिए जोकि केन्द्र सरकार के निदेशक के अतिरिक्त रहेंगे.

(ii) निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2014 को आयोजित बैठक में प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के उपरांत जनता को जारी पूंजी बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी की 20.20 प्रतिशत रही. उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार बैंक शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित दो निदेशकों को रखने का हकदार है जोकि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के अतिरिक्त रहेंगे. इसके विपरीत बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों का एक निदेशक उपलब्ध है. अत: 11 जुलाई, 2014 से बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के निदेशक की एक रिक्ति उत्पन्न हुई है.

(iii) निदेशक मंडल ने 2 अगस्त, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के एक निदेशक की रिक्ति को भरने हेतु चुनाव के आयोजन को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की.

(iv) अत: विभिन्न संगत अधिनियम /योजना /विनियम /अधिसूचना /निदेशों के अंतर्गत उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार, शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त), अपने नामांकन भेज सकते हैं. उम्मीदवारी हेतु सभी प्रकार से पूर्णत: भरे हुए नामांकन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा नामांकन की संवीक्षा पूरी की जाएगी.

(v) सभी प्राप्त नामांकनों की संवीक्षा करने के बाद यदि केवल **एक** नामांकन वैध पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा तथा निर्वाचित होने के संबंध में उसका नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी स्थिति में अथवा जब कोई भी नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो वार्षिक साधारण बैठक की कार्यसूची की मद क्रमांक 4 पर कोई कार्यवाही नहीं होगी. नवनिर्वाचित निदेशक उनके चुनाव की मानी गई तारीख के अगले दिन से कार्यभार संभाल लेंगे.

(vi) यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो उम्मीदवारों के नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे, चुनाव का आयोजन किया जाएगा एवं ई-मतदान तथा बैठक में मतदान में अधिकांश मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा, उसका नाम घोषित किया जाएगा, साथ ही समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

विधिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/योजना/अधिसूचनाओं के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है

अधिनियम/ योजना /विनियम/ / अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51	➢ उल्लेखनीय हित ➢ साधारण निदेशकों पर प्रतिबंध ➢ अपने किसी भी निदेशकों की ओर से अथवा निदेशक को ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने के संबंध में प्रतिबंध ➢ अधिनियम की कुछ धाराएं तदनुरुपी नए बैंक पर लागू होना
बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए)(ए)से (सी) धारा 9(3एए) एवं धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	➢ मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध ➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➢ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पूर्व-वृत्त, ईमानदारी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति न हो. ➢ उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं धारा 9(3एए) की आवश्यकताओं को पूर्ण न करने वाले चुने गए निदेशक को हटाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार ➢ निष्ठा एवं गोपनीयता संबंधी दायित्व